ब्रिटिश इंडिया जनरल इंश्योरेंस को. लिमिटेड़

बनाम

कैप्टन इतबार सिंह और अन्य

(एस. के. दास ए. के. सरकार और के. सुब्बा राव जे. जे.)

मोटर कार बीमा-तीसरे पक्ष द्वारा क्षतिपूर्ति के लिए मुकदमा

बीमा कंपनी ने प्रतिवादी जोड़े-वैधानिक प्रतिरक्षा के अलावा प्राप्त बचाव

[मोटर वाहन अधिनियम,1939 (1939 का 4), एस.एस. 95,96 का निर्वचन]

लापरवाही से गाड़ी चलाने के लिए क्षतिपूर्ति का दावा करने का मुकदमा वाहन के मालिक के विरूद्घ दायर किया गया था , जिसने तीसरे पक्ष के जोखिमों के विरुद्ध बीमा कराया गया था। बीमाकर्ता को बाद में प्रतिवादी के रूप में मोटर वाहन अधिनियम, 1939 की धारा 96(2) के तहत मुकदमे में जोड़ा गया। यह तर्क दिया गया कि उसके लिए उपलब्ध बचाव अधिनियम की धारा 96(2) में बताए गए आधार, सीमित नहीं था, अपितु यह उन सभी बचावों को लेने का हकदार था, जिन पर बीमित व्यक्ति स्वयं अपनी रक्षा के लिए भरोसा कर सकता था, केवल इस

प्रतिबंध के अधीन कि वह अपने बचाव को धारा 96 (3) के मद्देनजर पाॅलिसी की शर्तों पर निर्भर नहीं कर सकता था।

यह माना गया कि अधिनियम की धारा 96(2) के तहत कार्रवाई के लिए प्रतिवादी बनाया गया एक बीमाकर्ता उस धारा में निर्दिष्ट नहीं किए जाने के आधार पर स्वत्व का बचाव करने का हकदार नहीं था।

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 413, और 414/1958

सिविल रिवीजन संख्या 81-डी 1953 और 96-डी 1953 में पंजाब उच्च न्यायालय के 27 अप्रैल 1955 के आदेश के विरुद्ध अपील।

I959 अप्रैल 21, 22, 23, 24.-सी. के. दफ्तरी, भारत के सॉलिसिटर जनरल, अपीलकर्ताओं की ओर से ,राम बिहारी लाल, डी.के. कपूर और सरदार बहादुर। वर्तमान अपील में प्रश्न मोटर वाहन अधिनियम, 1939 की धारा 96 के इर्द-गिर्द घूमता है। धारा 96 की उपधारा (2) का उद्देश्य बीमा की पॉलिसी के आधार पर उन आधारों को बताना है जिन पर बीमाकर्ता अपनी रक्षा के लिए भरोसा कर सकता है। उप-धारा (3) पाॅलिसी की कुछ शर्तों को तीसरे पक्ष के विरुद्ध अप्रभावी बनाती है। उप-धारा (2} और (3) दोनों केवल पाॅलिसी की शर्तों से संबंधित पाॅलिसी हैं । उनकी व्याख्या इस तरह से नहीं की जानी चाहिए कि बीमाकर्ता जो अन्य बचाव करना

चाहता है, उन्हें हटा दिया जाए, उदाहरण के लिए कि कोई दुर्घटना नहीं हुई थी या वादी लापरवाह था या अंशदायी लापरवाही थी आदि। जब कोई व्यक्ति एक पार्टी के रूप में शामिल होता है तो उसे अधिनियम में स्वीकार्य सभी बचाव लेने का अधिकार होता है।

(सुब्बा राव,].-क्या बीमाकर्ताओं को अधिनियम के अलावा एक पार्टी के रूप में शामिल होने का अधिकार था? क्या उन्हें सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश I, नियम 10 के तहत शामिल किया जा सकता था) मैं सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 1, नियम 10 पर अपने मामले का आधार नहीं बना रहा हूँ। अधिनियम के अलावा, बीमाकर्ता तीसरे पक्ष के प्रति उत्तरदायी नहीं होगा, बल्कि केवल बीमित व्यक्ति के प्रति उत्तरदायी होगा।

[दास, जे.-क्या यह सही नहीं है कि अधिनियम बीमाकर्ता को एक पार्टी के रूप में शामिल होने का अधिकार देता है जो उसके पास पहले नहीं था? यदि ऐसा है, तो अधिकार को अधिनियम द्वारा दी गई सीमा से आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है।]

यह सच है कि अधिनियम बीमाकर्ता को घायल व्यक्ति की कार्रवाई में एक पक्ष बनने का अधिकार देता है जो उसके पास पहले नहीं था, लेकिन अदालत के सामने असली सवाल यह है कि क्या उपधारा (2) बचाव के अधिकार को सीमित करती है उस उपधारा में बताए गए आधारों की सीमा तक। मेरे निवेदन में, उप-धारा (2) केवल पॉलिसी की शर्तों के आधार

पर बचाव को समाप्त करती है जिसे बीमाकर्ता लेना चाहता है। यदि यह इरादा था कि ये बीमाकर्ता के लिए खुले एकमात्र बचाव थे तो शब्दों 'के बजाय' निम्नलिखित आधारों में से 'किसी एक' शब्द का उपयोग किया जाना चाहिए था। विधायिका का मतलब यह था कि बीमाकर्ता अन्य आधारों के अलावा उप-धारा (2) में बताए गए आधारों पर भी कार्रवाई का बचाव कर सकता है। यदि अदालत को लगता है कि धारा स्पष्ट है तो कोई शब्द नहीं जोड़ा जा सकता। हालाँकि, मेरा मानना है कि यह प्रावधान अस्पष्ट है। इसका मतलब या तो यह हो सकता है कि बीमाकर्ता अन्य बचाव ले सकता है या वह उप-धारा (2) में बताए गए मामलों तक ही सीमित है। न्यायालय को इस धारा की व्याख्या देनी चाहिए । न्याय के हितों पर प्रभाव। बीमाकर्ता को निर्णय को संतुष्ट करने के लिए उत्तरदायी बनाया गया है। यदि उसे गुण-दोष के आधार पर कार्रवाई का बचाव करने की अनुमति नहीं दी गई तो यह अत्यधिक कठिनाई होगी। उपधारा (2) के अंतर्गत आने वाली स्थितियों के अलावा बीमाकर्ता बिना सुनवाइ के ही निंदित किया जायेगा। विधायिका ऐसे परिणाम का इरादा नहीं कर सकती थी। यहां तक कि वे मामले भी जो मानते हैं कि बीमाकर्ता के बचाव उप-धारा (2) में बताए गए बचावों तक ही सीमित हैं, यह मानते कि इससे कठिनाई होती है। एल.एल.आर. 1953 बॉम.109, आई.एल.आर.1955 बॉम। 39 और आई.एल.आर. 1955 बाम्बे.278. उन मामलों में बीमाकर्ता को बीमाधारक के नाम पर बचाव की अनुमति देकर कठिनाई को दूर करने की

कोशिश की गई थी। मैं यह नहीं कहता कि यह बाद वाली प्रक्रिया सही है, लेकिन इससे पता चलता है कि कठिनाई है।

[सरकार, जे.-यह कैसे किया जा सकता है? बीमाकर्ता को बीमाधारक के नाम पर बचाव की अनुमति कैसे दी जा सकती है? रिकॉर्ड कैसे रखा जाए? ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिसके तहत यह किया जा सके, सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 151 के तहत भी नहीं।]

शायद नहीं। लेकिन इस अपील में निर्धारण के लिए वह प्रश्न नहीं उठता। यदि मेरे द्वारा सुझाई गई उपधारा (2) की व्याख्या को स्वीकार कर लिया जाए तो बॉम्बे मामलों द्वारा पहचानी गई कठिनाई से बचा जा सकता है।

[दास, जे.-उपधारा (6) के सामने वह व्याख्या कैसे संभव है?]

उपधारा (6) केवल बीमाकर्ता को उपधारा (2) में बताए गए तरीके के अलावा किसी अन्य तरीके के दायित्व से बचने से रोकती है। उपधारा (2) में बताए गए दायित्व से बचने का तरीका यह है कि बीमाकर्ता को एक पक्षकार बनने के लिए आवेदन करना चाहिए। नतीजतन, बीमाकर्ता केवल एक पार्टी के रूप में शामिल होकर दायित्व से बच सकता है। उपधारा (6) के संदर्भ में 'ढंग' शब्द केवल उस प्रक्रिया को संदर्भित करता है जिसका बीमाकर्ता पालन कर सकता है, न कि उन आधारों को जो

बीमाकर्ता लेना चाहता है। इसलिए बीमाकर्ता केवल एक पार्टी के रूप में शामिल होकर दायित्व से बच सकता है, लेकिन उप-धारा (2) में बताए गए बचाव सहित कोई भी बचाव कर सकता है। अन्यथा तीसरा पक्ष और बीमित व्यक्ति मिलीभगत कर सकते हैं और एक निर्णय पारित किया जा सकता है जिसे बीमाकर्ता खुद का बचाव करने का अवसर दिए बिना संतुष्ट करने के लिए बाध्य होगा। या मामला डिफ़ॉल्ट रूप से बीमाधारक के विरुद्ध जा सकता है या समझौता हो सकता है। प्रभावित होने वाला वास्तविक पक्ष बीमाकर्ता है और फिर भी उसे उपधारा (2) में बताए गए सीमित आधारों को छोड़कर सुनवाई का कोई अधिकार नहीं दिया गया है। बीमित व्यक्ति केवल नाममात्र का पक्ष है और उसे मामला लड़ने में रुचि होने की संभावना नहीं है, क्योंकि बीमाकर्ता को डिक्री को संतुष्ट करना होगा। विधायिका ऐसे परिणाम का इरादा नहीं कर सकती थी। यह प्राकृतिक न्याय के विपरीत है कि कार्यवाही से प्रभावित होने की संभावना वाले पक्ष को गुण-दोष के आधार पर नहीं सुना जाए।

टी. पी. एस. चावला प्रतिवादी की ओर से (उनके साथ, दीपक दत्त चौधरी)। मोटर वाहन अधिनियम, 1939 का अध्याय VIII, विभिन्न अंग्रेजी अधिनियमाें पर आधारित है (मोटर वाहन बीमा समिति 1936-37 की रिपोर्ट देखें जिसे रफटन समिति के नाम से जाना जाता है)। धारा 96 की

उचित समझ के लिए इंग्लैंड में अनिवार्य थर्ड पार्टी बीमा से संबंधित अधिनियम के ऐतिहासिक विकास पर विचार करना आवश्यक है।

1930 से पहले, इंग्लैंड में तीसरे पक्ष के जोखिमों के संबंध में अनिवार्य बीमा की कोई व्यवस्था नहीं थी। दुर्घटना की स्थिति में घायल तीसरे पक्ष को मोटर चालक पर मुकदमा चलाने और क्षति की वसूली करने का अधिकार था। लेकिन यदि मोटर चालक गरीब आदमी था, तो घायल पक्ष मुआवजा प्राप्त करने में असमर्थ था। यही वह स्थिति थी जिससे बचने के लिए विभिन्न सड़क यातायात अधिनियमों को डिज़ाइन किया गया था।

यहां तक कि उन मामलों में भी, जिनमें मोटर चालक ने बीमा पॉलिसी ली थी, घायल तीसरे पक्ष के मुआवजे की वसूली के रास्ते में कठिनाइयां पैदा हुईं। घायल तीसरे पक्ष के पास बीमाकर्ता के खिलाफ कार्रवाई का कोई सीधा अधिकार नहीं था। बीमित व्यक्ति के दिवालिया होने की स्थिति में, घायल तीसरे पक्ष को एक साधारण ऋणदाता के रूप में दर्जा दिया जाएगा और उसे अपने डिक्री के लिए पूर्ण संतुष्टि नहीं मिलेगी। तीसरे पक्ष के अधिकार बीमाकर्ता अधिनियम, 1930 के विरुद्ध ऐसे मामलों में वैधानिक प्रतिस्थापन की एक प्रणाली बनाई गई। (हैल्सबरी, तीसरा संस्करण.. खंड 22, पृ. 339, 372)। इस अधिनियम के प्रावधानों को मोटर वाहन अधिनियम की धारा 97 में पर्याप्त रूप से पुन: प्रस्तुत

किया गया है। परिणामस्वरूप, तीसरा पक्ष इन मामलों में सीधे बीमाकर्ता पर मुकदमा कर सकता है।

इसके बाद सड़क यातायात अधिनियम, 1930 ने अनिवार्य बीमा की एक योजना शुरू की। धारा 35(1) ने तृतीय पक्ष बीमा को अनिवार्य बना दिया। मोटर वाहन अधिनियम की धारा 94(1) को इसी तरह शब्दों में लिखा गया है। इसी प्रकार अंग्रेजी अधिनियम की धारा 36 को मोटर वाहन अधिनियम की धारा 95 में पर्याप्त रूप से पुन: प्रस्तुत किया गया है। 1930 के अधिनियम की धारा 38 ने पालिसी की कुछ शर्तों को तीसरे पक्ष के संबंध में अप्रभावी बना दिया। उद्देश्य यह था कि घायल तीसरे पक्ष के दावे विफल नहीं होने चाहिए क्योंकि बीमित व्यक्ति ने पॉलिसी में कुछ शर्तों का अनुपालन नहीं किया है या उनका उल्लंघन किया है। (शॉक्रॉस ऑन मोटर इंश्योरेंस, दूसरा संस्करण.. पृ. 219, 277)।

लेकिन 1930 का अधिनियम ज्यादा आगे नहीं बढ़ सका। 1934 में एक और सड़क यातायात अधिनियम पारित किया गया था जिसका उद्देश्य बीमाकर्ताओं को बीमाधारक के खिलाफ प्राप्त निर्णयों को संतुष्ट करने के लिए मजबूर करना था (शॉक्रोस;, उक्त पृष्ठ 271)। इस अधिनियम में विभिन्न पक्षों के बीच तीन अलग-अलग कार्रवाइयों पर विचार किया गया। पहली कार्रवाई घायल तीसरे पक्ष द्वारा आश्वासन दिए गए व्यक्ति के विरुद्ध थी। उस अधिनियम की धारा 10(1) के अनुसार, जिसे धारा 96(1)

में पुन: प्रस्तुत किया गया है, बीमाकर्ता बीमित व्यक्ति के विरुद्ध डिक्री को पूरा करने के लिए बाध्य था। यदि बीमाकर्ता ऐसा करने में विफल रहता है, तो तीसरे पक्ष को बीमाकर्ता के खिलाफ प्राप्त निर्णय के आधार पर बीमाकर्ता के खिलाफ कार्रवाई का अधिकार था।(शॉक्रॉस, पृष्ठ 296; हैल्सबरी, तीसरा संस्करण, खंड 22, पृ. 374-5). यह दूसरी कार्रवाई थी. यह संदिग्ध है कि क्या दूसरी कार्रवाई में बीमाकर्ता के लिए मिलीभगत का बचाव भी खुला रहेगा। (शॉक्रॉस, पृष्ठ 296)। फिर 1934 के सड़क यातायात अधिनियम की धारा 10(2) को धारा 96(2)(ए) में पर्याप्त रूप से पुन: प्रस्तुत किया गया है। इस प्रावधान के द्वारा कुछ घटनाओं में बीमाकर्ता का दायित्व समाप्त हो जाता है। धारा 96(2)(बी) की सराहना करने के लिए 1930 के सड़क यातायात अधिनियम की धारा 38 और 1934 के सड़क यातायात अधिनियम की धारा 12 को ध्यान में रखना आवश्यक है।

इन दोनों बाद की धाराओं ने पालिसी की कुछ शर्तों को तीसरे पक्ष के विरुद्ध अप्रभावी बना दिया। मोटर वाहन अधिनियम का मसौदा तैयार करते समय विधायिका ने बयान के तरीके को उलट दिया। धारा 96(2)(बी) में विधायिका ने सकारात्मक रूप से कहा है कि वे कौन सी शर्तें हैं जिन पर बीमाकर्ता किसी तीसरे पक्ष के खिलाफ भरोसा कर सकता है। ऐसा संदेह और अनिश्चितता से बचने के लिए किया गया था.

फिर धारा 10(3) सड़क यातायात अधिनियम, 1934 ने बीमाकर्ता को यह घोषणा प्राप्त करने का अधिकार दिया कि वह किसी भौतिक तथ्य के गैर-प्रकटीकरण या गलत बयानी के कारण पॉलिसी के लिए उत्तरदायी नहीं है। इस कार्रवाई में घायल हुए तीसरे पक्ष को नोटिस भेजना पड़ा, जिसे एक पक्ष के रूप में शामिल होने और कार्रवाई का विरोध करने का अधिकार दिया गया। यह तीसरी कार्रवाई थी. वही परिणाम धारा 96(2)(सी) द्वारा प्राप्त किया जाता है। धारा 96 अंग्रेजी अधिनियम में होने वाली इन तीन कार्रवाइयों को एक में समेटने का काम करती है। इससे समय और धन की बचत होती है और इसमें शामिल तीन पक्षों को एक ही कार्रवाई में अपने संबंधित अधिकारों और देनदारियों का निपटान करने में मदद मिलती है। लेकिन धारा 96 किसी भी पक्ष को अंग्रेजी अधिनियम से अधिक अधिकार नहीं देती। सामान्य अधिनियम में बीमाकर्ता को घायल पक्ष द्वारा दोषी के खिलाफ कार्रवाई में हस्तक्षेप करने और गुण-दोष के आधार पर दावे का विरोध करने का कोई अधिकार नहीं था, उदाहरण के लिए, कि कोई दुर्घटना या लापरवाही नहीं हुई थी या अंशदायी लापरवाही थी आदि। बीमाकर्ता केवल दायित्व से बच सकता है यह दिखाकर कि वह पॉलिसी से जुड़े किसी कारण से उत्तरदायी नहीं था। यह वह अधिकार है जिसे उपधारा (2) सुरक्षित रखती है। यह बीमाकर्ता को सामान्य अधिनियम या अंग्रेजी अधिनियम के अनुसार उसके पास जो कुछ भी होता, उस पर अतिरिक्त अधिकार नहीं देता है। सॉलिसिटर-जनरल द्वारा सुझाई गई व्याख्या पर

बीमाकर्ता को वह अधिकार मिलेगा जो उसे पहले कभी नहीं मिला था। यह अध्याय VIII के उद्देश्य के विपरीत है जो घायल तीसरे पक्ष की रक्षा करना है न कि बीमाकर्ता की। आदेश 1, नियम 10, सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत बीमाकर्ता, बीमित व्यक्ति के खिलाफ घायल तीसरे पक्ष की कार्रवाई में बीमाकर्ता न तो आवश्यक है और न ही उचित पक्ष है।

[सुब्बा राव, जे.-आपको आदेश 1, नियम 10, सिविल प्रक्रिया संहिता से निपटने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सॉलिसिटर-जनरल ने इस पर आधार नहीं लिया है।]

धारा 96(2) में कोई अस्पष्टता नहीं है। उपधारा स्पष्ट रूप से बीमाकर्ता के लिए खुले बचावों को निर्दिष्ट करता है और उन बचावों को जोड़ने की अनुमति नहीं है। इसे उपधारा (6) द्वारा संदेह से परे रखा गया है यह बीमाकर्ता को उप-धारा (2) में बताए गए तरीके के अलावा किसी अन्य तरीके के दायित्व से बचने से रोकता है। उप-धारा (2) द्वारा प्रदान किया गया तरीका एक पार्टी के रूप में शामिल होना और बताए गए आधारों पर बचाव करना है। इसलिए, ढंग प्रक्रिया और आधार दोनों को संदर्भित करता है। अन्यथा धारण करना उपधारा (2) को अनावश्यक बनाना है। यदि विधायिका का इरादा है कि बीमाकर्ता उप-धारा (2) में बताए गए आधारों के अलावा अन्य आधारों पर बचाव करने में सक्षम होना चाहिए, तो उसे केवल इतना कहना होगा कि बीमाकर्ता एक पार्टी के रूप में

शामिल होने का हकदार होगा। जैसा कि उपधारा (2) बचाव को निर्दिष्ट करती है, इरादा स्पष्ट रूप से बीमाकर्ता को उन बचावों तक सीमित करने का था।

[सुब्बा राव, जे. -मान लीजिए कि घायल तीसरे पक्ष और बीमाधारक की मिलीभगत या निर्णय को डिफ़ॉल्ट रूप से जाने की अनुमति है, तो क्या बीमाकर्ता निर्णय को रद्द नहीं कर सकता या इसे रद्द करने के लिए मुकदमा नहीं ला सकता?]

मेरे निवेदन के अनुसार इस उद्देश्य के लिए कोई मुकदमा भी वर्जित है क्योंकि यह उप-धारा (6) का उल्लंघन होगा। इस तरह का मुकदमा बीमाकर्ता को उस तरीके से दायित्व से बचने में सक्षम करेगा जिसकी उप-धारा (6) अनुमति नहीं देती है।

इस प्रावधान को वर्तमान स्थिति में पूर्ण प्रभाव देने से कोई कठिनाई नहीं होती है। मिलीभगत की संभावनाएँ दूरस्थ और वास्तव में भ्रामक हैं। (शॉक्रॉस. पृष्ठ 296)। धारा 96(3) के द्वारा बीमाकर्ता को बीमाधारक से उसके द्वारा भुगतान की गई किसी भी राशि की वसूली करने का अधिकार दिया जाता है, जिसे वह पॉलिसी में शर्तों के उल्लंघन के कारण भुगतान करने के लिए बाध्य नहीं था, लेकिन जो शर्तें तीसरे पक्ष के खिलाफ अप्रभावी बना दी गई हैं . उसी धारा की उप-धारा (4) बीमाकर्ता को पॉलिसी में अपने दायित्वों से अधिक, धारा 95 के आधार पर भुगतान किए

गए बीमित व्यक्ति से वसूलने का अधिकार देती है। निर्णय अभी भी उस बीमित के विरुद्ध है जो मुख्य रूप से उत्तरदायी पक्ष है। इसे केवल बीमाकर्ता के विरुद्ध निष्पादन योग्य बनाया जाता है। इसके अलावा, मोटर वाहन अधिनियम, 1939 की धारा 1(3) द्वारा, विधायिका ने बीमाकर्ताओं को अपनी पॉलिसियों में प्रावधान शामिल करने और बीमाधारक के दायित्व के खिलाफ खुद को बचाने के लिए ऐसे अन्य कदम उठाने के लिए छह साल का समय दिया, जैसा वे उचित समझें। अधिकांश बीमाकर्ता कार्यवाही पालिसी का नियंत्रण खंड सम्मिलित करते हैं (हैल्सबरी, तीसरा संस्करण, खंड 22, पृष्ठ 338)। नुकसान अंततः किसी एक को ही उठाना पड़ता है, और विधायिका ने यथासंभव यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया है कि नुकसान दुर्घटना का कारण बनने वाले व्यक्ति पर पड़े। लेकिन, यदि बीमाधारक निर्दोष है तो विकल्प यह होता है कि नुकसान का भार घायल पक्ष पर पड़ने दिया जाए या फिर बीमाधारक पर। विधायिका ने अपने विवेक से यह प्रावधान किया है कि ऐसी स्थिति में नुकसान का भार बीमाकर्ता पर पड़ेगा। इस तरह के नुकसान को सहना बीमाकर्ता के व्यवसाय का एक हिस्सा है और बीमा के अनुबंध में प्रवेश करते समय वह सोचता है कि उसे नुकसान का भुगतान करने के लिए कहा जा सकता है।

अब, सॉलिसिटर-जनरल बॉम्बे द्वारा संदर्भित मामले इस हद तक सही हैं कि उनका मानना है कि बीमाकर्ता केवल उप-धारा (2) में बताए

गए आधार पर ही बचाव कर सकता है। उन मामलों को इस धारणा पर आगे बढ़ाना गलत है कि इस दृष्टिकोण से बीमाकर्ता को कठिनाई हुई है। वे विंडसर बनाम चाल्क्राफ्ट, [1939] 1 के.बी. के मामलों की गलतफहमी पर आधारित हैं। 279 और जैक्स बनाम हैरिसन, 12 क्यू बी.डी. 136, और अपील पर, 12 Q.B.D. 165. बंबई मामलों में यह ध्यान नहीं दिया गया कि न्यायिक अधिनियम और आदेश 27, नियम 15, आर.एस.सी. की धारा 24(5) के समकक्ष भारतीय अधिनियम के प्रावधान अंग्रेजी प्रावधानों जितने व्यापक नहीं थे। आदेश 9, नियम 7, सिविल प्रक्रिया संहिता, एक पक्षीय डिक्री की अनुमति देता है केवल प्रतिवादी के कहने पर ही रद्द किया जा सकता है जबकि आदेश 27, R. 15, R.S.C में ऐसी कोई सीमा नहीं है। अधिनियम में ऐसी कोई प्रक्रिया ज्ञात नहीं है जिसके द्वारा बीमाकर्ता को बीमाधारक के नाम पर बचाव करने की अनुमति दी जा सके। यह धारा 151, सी.पी.सी. के तहत नहीं किया जा सकता है... क्योंकि यह धारा 96(6) का उल्लंघन होगा और बीमाकर्ता को अनुमत तरीके के अलावा किसी अन्य तरीके से दायित्व से बचने की अनुमति देगा। बम्बई के मामलों में उपधारा (6) पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया गया। उन मामलों में बताई गई प्रक्रिया अमान्य है।

[सरकार,]-क्या हमें इस मामले में उस बिंदु पर निर्णय लेने के लिए कहा गया है? स्पष्टतः उन्हीं पक्षों के बीच उच्च न्यायालय में एक

पुनरीक्षण याचिका लंबित है जिसमें वह प्रश्न निर्धारण की प्रतीक्षा कर रहा है। क्या हमें उस बिंदु पर कोई राय व्यक्त करनी चाहिए?]

सॉलिसिटर-जनरल ने इसे अपने तर्क के एक भाग के रूप में अपनाया है। उन्होंने कहा है कि यदि बीमाकर्ता बीमाधारक के नाम पर सभी बचाव ले सकता है, तो यह एक अतिरिक्त कारण है कि उप-धारा (2) की व्याख्या नहीं की जानी चाहिए ताकि बीमाकर्ता के लिए उपलब्ध बचाव को सीमित किया जा सके। मैं यह दिखाना चाहता हूं कि यह नजरिया गलत है। (न्यायालय ने तर्क की इस शाखा को अस्वीकार कर दिया)।

विंडसर बनाम चाल्क्राफ्ट में, रिपोर्ट किए गए मामले के रूप में , [1939] आई के.बी. 279, स्लेसर, एल.जे. का असहमतिपूर्ण निर्णय, सही स्थिति बताता है। ग्रीर, एल.जे. के फैसले से पता चलता है कि वह अधिनियम में सही स्थिति के बारे में काफी संदेह में थे, लेकिन जैक्स बनाम हैरिसन, 12 क्यूबीडी में रिपोर्ट किए गए पहले के फैसले से खुद को बाध्य महसूस करते थे। 165. मै, एल.जे., इस आधार पर आगे बढ़े कि आश्वासन दिया गया व्यक्ति केवल नाममात्र का प्रतिवादी था। जैसा कि पहले ही प्रस्तुत किया जा चुका है यह सही नहीं है। अंग्रेजी अधिनियम में भी बीमाकर्ता बीमित व्यक्ति से वसूली कर सकता है। (हैल्सबरी, तीसरा संस्करण, खंड 22, पृ. 374, 379, 385)। विंडसर बनाम चाल्क्राफ्ट का मामला मई 1938 में तय किया गया था। मोटर वाहन अधिनियम फरवरी,

1939 में पारित किया गया था। यह मान लेना वैध है कि अधिनियम का मसौदा तैयार करने वाले व्यक्तियों को इस मामले के बारे में पता था। मैं प्रस्तुत करता हूं कि उप-धारा (6) का वास्तविक उद्देश्य स्लेसर, एल.जे. के दृष्टिकोण को प्रभावी बनाना था।

[दास, जे.]-यह बहुत असुगम/असंगत है।]

मेरा निवेदन है, कि ऐसा नहीं है कि इंग्लैंड में भी स्लेसर, एल.जे. के विचार को मंजूरी मिल गई लगती है। बाद के अंग्रेजी मामलों से पता चलता है कि विंडसर बनाम चाल्क्राफ्ट के सिद्धांत का विस्तार नहीं किया जाना चाहिए। मर्फिन बनाम असलिब्रिज [1941] 1 सभी ई.आर. 23. 1 देखें. विंडसर बनाम चाल्क्राफ्ट के मामले को स्पष्ट रूप से खारिज करना आवश्यक नहीं था क्योंकि 1946 में इंग्लैंड में मोटर बीमाकर्ता ब्यूरो की स्थापना की गई थी, जिसके परिणामस्वरूप एक बीमाकर्ता बाध्य है किसी मोटर चालक के विरुद्ध किसी तीसरे पक्ष द्वारा प्राप्त निर्णय को संतुष्ट करने के लिए, भले ही मोटर चालक का बीमा न किया गया हो (हेल्सबरी, तीसरा संस्करण, खंड 22, पीपी. 382 आदि अनुक्रम, शॉक्रॉस, ibid, परिचय LXXXVII आदि क्रम।) इससे पता चलता है कि तीसरे पक्ष को बचाने की कोशिश कितनी मजबूत रही है. वास्तव में धारा 96(2) और (6) के शब्द स्पष्ट रूप से दिखाते हैं कि बीमाकर्ता केवल उपधारा (2) में उल्लिखित बचाव ही ले सकता है, लेकिन यदि कोई संदेह है, तो

अधिनियम के ऐतिहासिक विकास पर विचार करें और प्राप्त की जाने वाली वस्तुएँ इसे संदेह से परे रखती हैं कि विधायिका इस परिणाम का इरादा रखती थी।

सी.के. दफ्तरी, उत्तर मेंः- यह गलत है कि सामान्य अधिनियम में बीमाकर्ता को एक पक्ष के रूप में नहीं लाया जा सकता। सामान्य अधिनियम में गारंटर या क्षतिपूर्तिकर्ता को तीसरे पक्ष की प्रक्रिया के माध्यम से लाया जा सकता है (एल.एल.आर. 35 ऑल. 168 और हैल्सबरी, तीसरा संस्करण, खंड 18, पृष्ठ 535 और ग्रे बनाम लुईस, एल.आर. (1873) 8 अध्याय देखें) .1035, 1058).

सामान्य अधिनियम के अलावा, बीमाकर्ता को आदेश.1, आर.10, सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत एक पार्टी के रूप में भी शामिल किया जा सकता है।

मैं, संयुक्त प्रांत बनाम अतीका बेगम, [1941] एसी 16 के मामले पर भरोसा करता हूं। एक व्यक्ति को एक पक्ष के रूप में शामिल किया जाना चाहिए यदि उसकी उपस्थिति प्रभावी और पूर्ण निर्णय के लिए आवश्यक है। इस सिद्धांत पर बीमाकर्ता को एक पार्टी के रूप में शामिल होना चाहिए, और इस प्रकार वह सभी बचाव कर सकता है।

चावला, उत्तर में:- हेल्सबरी, तृतीय संस्करण, से सॉलिसिटर-जनरल द्वारा उद्धृत अंश खंड 18, पृ. 535, वास्तव में उनके विरुद्ध है। फुट नोट (ई) से पता चलता है कि सामान्य अधिनियम में बीमाकर्ता को बीमाधारक द्वारा कार्रवाई में एक पक्ष के रूप में शामिल नहीं किया जा सकता है। कॉमन लॉ में तृतीय पक्ष प्रक्रिया मौजूद नहीं थी। यहां तक कि इंग्लैंड में तीसरे पक्ष की प्रक्रिया के तहत भी यह संदिग्ध है कि क्या ऐसा किया जा सकता है (शॉक्रॉस, पृ. 150-151)। वैसे भी पंजाब में कोई तीसरे पक्ष की प्रक्रिया नहीं है. सभी 35 मामले 168 और (1873) एल.आर. 8 चौ. A. 1035 भी उनके खिलाफ हैं.

बीमाकर्ता न तो एक आवश्यक और न ही उचित पक्ष है क्योंकि उसकी उपस्थिति के बिना पूर्ण और प्रभावी निर्णय हो सकता है। यह डिक्री बीमाधारक के विरुद्ध है, बीमाकर्ता के विरुद्ध नहीं।

1959. 11 मई. कोर्ट का फैसला था

द्वारा सरकार. जे.-ये दोनों अपीलें दो मुकदमों से जुड़ी हैं और एक साथ सुनी गई हैं। परिणामस्वरूप वादी को हुए नुकसान की वसूली के लिए मोटर कारों के मालिकों के खिलाफ मुकदमा दायर किया गया था। कारों की लापरवाही से ड्राइविंग के बारे में कारों के मालिकों का तीसरे पक्ष के जोखिमों और बीमाकर्ताओं के विरुद्ध बीमा किया गया था बाद में उन्हें मुकदमे में प्रतिवादी के रूप में मोटर वाहन अधिनियम 1939 की धारा 96

की उप-धारा (2) के प्रावधानों के तहत जोड़ा गया । उस उप-धारा की शर्तों को बाद में निर्धारित करना होगा, लेकिन अब यह कहा जा सकता है कि यह प्रावधान करता है कि इसके तहत एक कार्रवाई में एक पक्ष के रूप में जोड़ा गया बीमाकर्ता, इस प्रावधान में वर्णित आधार पर बचाव करने का हकदार था।

प्रतिवादी जोड़े जाने पर, बीमाकर्ताओं ने उस उप-धारा में उल्लिखित बचावों के अलावा अन्य बचाव करते हुए लिखित कथन दायर किए। वादी ने तर्क दिया कि लिखित कथनों को रिकॉर्ड से हटा दिया जाना चाहिए क्योंकि बीमाकर्ता केवल उपधारा में उल्लिखित आधारों पर ही कार्रवाई का बचाव कर सकते हैं, न कि किसी अन्य आधार पर। इसके बाद मुकदमों में एक सवाल उठा कि बीमाकर्ताओं के लिए क्या बचाव उपलब्ध थे। इनमें से एक मुकदमे में यह माना गया था कि बीमाकर्ता केवल उस उप-धारा में निर्दिष्ट बचाव ही ले सकता है और दूसरे मुकदमे में यह दृष्टिकोण अपनाया गया था कि बीमाकर्ता उन बचावों तक ही सीमित नहीं थे। इन निर्णयों से लेकर पंजाब उच्च न्यायालय तक अपीलें लंबित थीं । उच्च न्यायालय ने माना कि बीमाकर्ता केवल उपधारा में उल्लिखित आधारों पर ही कार्रवाई का बचाव कर सकते हैं, किसी अन्य आधार पर नहीं। इसलिए बीमाकर्ताओं द्वारा ये अपीलें की गई हैं।

प्रश्न यह है कि क्या एक बीमाकर्ता जिसे धारा 96(2) के तहत पक्षकार के रूप में जोड़ा गया है, उसे इसी धारा में वर्णित बचाव उपलब्ध हैं। अब मोटर वाहन अधिनियम के कुछ प्रावधानों का उल्लेख किया जाना आवश्यक है। अधिनियम की धारा 94 तीसरे पक्ष के जोखिम के विरुद्ध बीमा अनिवार्य बनाती है। धारा 95 ऐसे बीमा की पॉलिसियों की आवश्यकताओं और इसके द्वारा कवर किया जाने वाला दायित्व और उनकी सीमाओं से संबंधित है। इस अनुभाग की उपधारा (1) प्रदान करती है:

"............ बीमा की एक पॉलिसी एक पॉलिसी होनी चाहिए

कौन सी-

(ए) ....

(बी) पॉलिसी में निर्दिष्ट व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्गों को उपधारा (2) में निर्दिष्ट सीमा तक किसी भी दायित्व के खिलाफ बीमा करता है जो उसके द्वारा किए गए किसी भी व्यक्ति की मृत्यु या शारीरिक चोट के संबंध में हो सकता है या सार्वजनिक स्थान पर वाहन के उपयोग से उत्पन्न।" की उपधारा 95 (2)उस दायित्व की सीमा निर्दिष्ट करता है जिसके लिए बीमा किया जाना है, और यह कहना पर्याप्त है कि यह प्रावधान करता है कि निजी कारों के संबंध में, जिन वाहनों से ये अपीलें

संबंधित हैं, बीमा देय दायित्व की संपूर्ण राशि के लिए होना चाहिए। फिर आता है धारा 96 दौर में इस मामले में आगे दी गई दलीलें बदल चुकी हैं और इसके कुछ प्रावधानों को निर्धारित किया जाना है।

"धारा 96. (I) यदि, बीमा प्रमाणपत्र के बाद धारा 95 की उप-धारा (4) के तहत उस व्यक्ति के पक्ष में जारी किया गया है जिसके द्वारा पॉलिसी लागू की गई है, ऐसे किसी भी दायित्व के संबंध में निर्णय जो कि उप-धारा (बी) के तहत पॉलिसी द्वारा कवर किया जाना आवश्यक है। धारा 95 का खंड (I) (पॉलिसी की शर्तों द्वारा कवर किया गया दायित्व होने के नाते) पॉलिसी द्वारा बीमित किसी भी व्यक्ति के खिलाफ प्राप्त किया जाता है, भले ही बीमाकर्ता बचने या रद्द करने का हकदार हो सकता है या टाल सकता है या रद्द कर सकता है पॉलिसी, बीमाकर्ता, इस धारा के प्रावधानों के अधीन, डिक्री के लाभ के हकदार व्यक्ति को देय बीमा राशि से अधिक नहीं किसी भी राशि का भुगतान करेगा जैसे कि वह देयता के संबंध में निर्णायक देनदार था, साथ में निर्णयों पर ब्याज से संबंधित किसी भी अधिनियम के आधार पर लागत के संबंध में देय कोई भी राशि और उस राशि पर ब्याज के संबंध में देय कोई भी राशि।

(2) किसी बीमाकर्ता द्वारा कोई राशि देय नहीं होगी उप-धारा (1) किसी भी निर्णय के संबंध में, जब तक कि कार्यवाही शुरू होने से पहले या बाद में जिसमें निर्णय दिया जाता है, बीमाकर्ता को कार्यवाही शुरू करने के

लिए न्यायालय के माध्यम से नोटिस दिया गया था, या किसी भी निर्णय के संबंध में जब तक निष्पादन हो अपील लंबित रहने तक उस पर रोक लगा दी गई है; और एक बीमाकर्ता जिसे ऐसी कोई कार्यवाही लाने की सूचना दी गई हो

ऐसा दिया गया है तो वह एक पक्षकार बनने का हकदार होगा उसमें और किसी पर कार्रवाई का बचाव करने के लिए

निम्नलिखित आधार, अर्थात्:-

(ए) कि पॉलिसी आपसी सहमति से रद्द कर दी गई थी- दुर्घटना से पहले भेजे गए या उसमें निहित किसी प्रावधान के आधार पर दायित्व उत्पन्न होता है, और कि या तो बीमा का प्रमाण पत्र बीमाकर्ता को सौंप दिया गया था या जिस व्यक्ति को प्रमाण पत्र जारी किया गया था, उसने एक हलफनामा दिया है जिसमें कहा गया है कि प्रमाण पत्र खो गया है या नष्ट हो गया है, या घटना के चौदह दिन से पहले या बाद में नहीं। दुर्घटना बीमाकर्ता ने धारा 105 के प्रावधानों के अनुपालन के बाद प्रमाणपत्र रद्द करने की कार्यवाही शुरू कर दी है; या

(बी) कि पॉलिसी की एक निर्दिष्ट शर्त का उल्लंघन हुआ है, जो निम्नलिखित शर्तों में से एक है, अर्थात्:-•

(i) वाहन के उपयोग को छोड़कर एक शर्त-

(ए) किराये या इनाम के लिए, जहां वाहन चालू है बीमा के अनुबंध की तारीख, एक वाहन जो इनाम पर किराये पर चलाने के लिए परमिट के अंतर्गत नहीं आता है, या

(बी) संगठित रेसिंग और गति परीक्षण के लिए, या

(सी) किसी ऐसे उद्देश्य के लिए जो परमिट द्वारा अनुमत नहीं है जिसके तहत वाहन का उपयोग किया जाता है, जहां वाहन एक सार्वजनिक सेवा वाहन या माल वाहन है, या

(डी) साइडकार संलग्न किए बिना, जहां वाहन एक मोटर साइकिल है; या

(ii) नामित व्यक्ति द्वारा ड्राइविंग को छोड़कर एक शर्त व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा या किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा जिसके पास विधिवत लाइसेंस नहीं है, या किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा जिसे

अयोग्यता की अवधि के दौरान ड्राइविंग लाइसेंस रखने या प्राप्त करने के लिए अयोग्य ठहराया गया है; या

(iii) चोट के लिए दायित्व को छोड़कर एक शर्त युद्ध, गृहयुद्ध, दंगा या नागरिक हंगामे की स्थितियों के कारण या योगदान; या

(ई) कि पॉलिसी इस आधार पर शून्य है कि यह भौतिक तथ्य के गैर-प्रकटीकरण द्वारा या उस तथ्य के प्रतिनिधित्व द्वारा प्राप्त की गई थी जो कुछ भौतिक विशिष्टताओं में गलत था।

(2 ए) ....

(3) जहां धारा 95 की उप-धारा (4) के तहत उस व्यक्ति को बीमा प्रमाणपत्र जारी किया गया है जिसके द्वारा पॉलिसी बनाई गई है, वहां पॉलिसी का इतना हिस्सा बीमा को प्रतिबंधित करने के लिए है उप-धारा (2) के खंड (बी) के अलावा किसी भी शर्त के संदर्भ में बीमाकृत व्यक्ति, ऐसी देनदारियों के संबंध में, जो खंड (बी) ओ {जेएमबी-धारा (1) के तहत पॉलिसी द्वारा कवर करने के लिए आवश्यक हैं) धारा 95 का, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा :

बशर्ते कि बीमाकर्ता द्वारा भुगतान की गई कोई भी राशि केवल इस उपधारा के आधार पर पॉलिसी द्वारा कवर किए गए किसी भी दायित्व या किसी व्यक्ति के निर्वहन के लिए बीमाकर्ता द्वारा उस व्यक्ति से वसूली की जाएगी।

4. यदि वह राशि जो बीमाकर्ता उत्तरदायी हो जाती है इस धारा के तहत किसी दायित्व के संबंध में भुगतान करना होगा किसी पॉलिसी द्वारा बीमित व्यक्ति द्वारा किया गया व्यय उस राशि से अधिक है जिसके लिए

बीमाकर्ता इस धारा के प्रावधानों के अलावा उस दायित्व के संबंध में पॉलिसी के तहत उत्तरदायी होगा, तो बीमाकर्ता उस व्यक्ति से अतिरिक्त राशि वसूल करने का हकदार होगा।

5..

6. ऐसा कोई भी बीमाकर्ता जिसे उपधारा (2) के तहत नोटिस दिया गया हो, अपने दायित्व से, जो कि उपधारा (1) में वर्णित निर्णय से उत्पन्न लाभ के हकदार व्यक्ति के संदर्भ में उत्पन्न हो, उपधारा (2) में वर्णित आधारों के अलावा हकदार नहीं होगा।"

यह कहा जा सकता है कि इन मामलों में जो पॉलिसियाँ लागू की गईं, वे अधिनियम और धारा में उल्लिखित बीमा प्रमाणपत्र के अनुसार थीं। 96 को विधिवत जारी किया गया था। यह देखा गया होगा कि धारा 96 उप-धारा (1) बीमाकर्ता को घायल व्यक्ति द्वारा बीमित व्यक्ति के विरुद्ध प्राप्त निर्णय पर उत्तरदायी बनाता है। उपधारा (2) यह प्रावधान करता है कि उप-धारा (1) के तहत बीमाकर्ता द्वारा कोई राशि देय नहीं होगी जब तक कि उसे उस फैसले के परिणामस्वरूप होने वाली कार्यवाही का नोटिस नहीं दिया गया है, और जिस बीमाकर्ता को ऐसा नोटिस दिया गया है, वह कार्रवाई में एक पक्ष बनने और गिनाए गए आधारों पर इसका बचाव करने का हकदार होगा।

अपीलकर्ता का विवाद यह है कि जब कोई बीमाकर्ता उप-धारा (2) के तहत किसी कार्रवाई में एक पक्ष बन जाता है। वह अधिनियम में उपलब्ध सभी आधारों पर इसका बचाव करने का हकदार है, जिसमें वे आधार भी शामिल हैं जिन पर बीमित व्यक्ति स्वयं अपने लिए भरोसा कर सकता था। बीमाकर्ता के रक्षा के अधिकार पर एकमात्र प्रतिबंध यह है कि वह पॉलिसी की शर्तों पर भरोसा नहीं कर सकता है जो उप-धारा (3) के तहत कोई प्रभाव नहीं डालती। यही वह तर्क है जिसकी हमें इन अपीलों में जांच करनी है।

बीमाधारक के खिलाफ घायल व्यक्ति की कार्रवाई आरंभ करने के लिए यह याद रखना आवश्यक है कि अधिनियम के अलावा बीमाकर्ता को चोट पहुंचाने वाले में पक्षकार बनाने का कोई अधिकार नहीं है। हालाँकि धारा 96 की उपधारा (2) उसे मुकदमे में पक्षकार बनने और उसका बचाव करने का अधिकार देता है। इसलिए अधिकार द्वारा बनाया गया अधिनियम और उसकी सामग्री आवश्यक रूप से अधिनियम के प्रावधानों पर निर्भर करती है। तो वास्तव में सवाल यह है कि उप-धारा (2)के बचाव क्या हैं जो बीमाकर्ता को उपलब्ध कराता है? यह स्पष्ट रूप से उपधारा की व्याख्या का प्रश्न है।

अब उप-धारा (2) की भाषा से हमें बिल्कुल स्पष्ट लगता है और इसमें कोई संदेह या भ्रम नहीं है। यह है कि एक बीमाकर्ता जिसे कार्रवाई

की अपेक्षित सूचना दी गई है, वह "उसमें एक पक्ष बनने और निम्नलिखित में से किसी भी आधार पर कार्रवाई का बचाव करने का हकदार होगा," जिसके बाद आधारों की गणना आती है। इसका मतलब यह होगा कि बीमाकर्ता सूचीबद्ध किसी भी आधार पर बचाव करने का हकदार है, किसी अन्य पर नहीं। यदि ऐसा नहीं होता तो निःसंदेह कोई आधार वर्णित करने की आवश्यकता नहीं होती। जब बचाव के आधार निर्दिष्ट किए गए हैं, तो इसमें कुछ नहीं जोड़ा जा सकता है। ऐसा करना अधिनियम में शब्द जोड़ने जैसा होगा।

उपधारा (6) यह भी स्पष्ट रूप से इंगित करती है कि उपधारा (2) को कैसे पढ़ा जाना चाहिए। इसमें कहा गया है कि कोई भी बीमाकर्ता, जिसे उप-धारा (1) के तहत कार्रवाई का नोटिस दिया गया है, अपने दायित्व से बचने का हकदार नहीं होगा, उपधारा (2) में दिए गए तरीके के अलावा। अब उपधारा (2) में दिए गए दायित्व से बचने का एकमात्र तरीका उसमें वर्णित किसी भी बचाव को सफलतापूर्वक उठाना है। फिर बात इस पर आती है कि ऐसे बचाव स्थापित करने के अलावा बीमाकर्ता अपने दायित्व से बच नहीं सकता। इसलिए उप-धारा (6) स्पष्ट रूप से विचार करता है कि वह उप-धारा (2) में उल्लिखित कोई भी बचाव नहीं कर सकता है। यदि वह ऐसा कर सकता तो वह इसके अलावा किसी अन्य तरीके से अपने

दायित्व से बचने की स्थिति में होता उपधारा (2) में प्रावधान किया गया है। जो उपधारा (6) द्वारा निषिद्ध है।

इसलिए हम सोचते हैं कि उप-धारा (2) स्पष्ट रूप से प्रावधान करती है कि कार्रवाई के लिए प्रतिवादी बनाया गया बीमाकर्ता कोई भी बचाव लेने का हकदार नहीं है जो इसमें निर्दिष्ट नहीं है। बार में रिपोर्ट किए गए तीन निर्णयों का हवाला दिया गया और वे सभी इस आधार पर आगे बढ़े कि एक बीमाकर्ता को उप-धारा (2) में उल्लिखित आधारों को छोड़कर कार्रवाई का बचाव करने का कोई अधिकार नहीं था। ये हैं सरूप सिंह बनाम नीलकांत भास्कर (1), रॉयल इंश्योरेंस को. लिमिटेड बनाम अब्दुल महोमेद (2) और प्रोपराइटर, आंध्र ट्रेडिंग को. बनाम के. मुथुस्वामी(3)। हालाँकि, इनमें से किसी भी मामले में यह गंभीरता से तर्क नहीं दिया गया है कि बीमाकर्ता उपधारा (2) में उल्लिखित आधारों में से किसी एक के अलावा किसी अन्य आधार पर कार्रवाई का बचाव कर सकता है।

प्रतिवादियों के विद्वान वकील, कार्रवाई में वादी, ने हमें इस दृष्टिकोण के समर्थन में समान अंग्रेजी अधिनियम, सड़क यातायात अधिनियम, 1934 का हवाला दिया कि बीमाकर्ता अपने बचाव में उप-धारा (2) में निर्धारित आधारों तक सीमित है। लेकिन जिस प्रावधान का हमें अर्थ लगाना है उसकी व्याख्या में मार्गदर्शन के लिए हम अंग्रेजी अधिनियम का उल्लेख करना आवश्यक नहीं समझते हैं।

अब हम अपीलकर्ताओं की ओर से पेश हुए विद्वान सॉलिसिटर-जनरल द्वारा दिए गए तर्कों पर विचार करने के लिए आगे बढ़ते हैं। उन्होंने तर्क दिया कि उप-धारा (2) में बीमाकर्ता की रक्षा को उसमें उल्लिखित आधारों तक सीमित करने के लिए कुछ भी नहीं था। अपने तर्क का समर्थन करने के लिए, उन्होंने सबसे पहले धारा 96 की उप-धारा (3) का उल्लेख किया और कहा कि इससे संकेत मिलता है कि उप-धारा (2) में जो बचाव वर्णित हैं, वे केवल पालिसी की शर्तों पर आधारित थे। उनका कहना था कि उप-धारा (2) उन शर्तों में से कुछ पर बचाव की अनुमति देती है और उप-धारा (3) ने बाकी शर्तों को प्रभावहीन बना दिया है, जिससे उनमें से किसी पर भी बचाव आधारित नहीं किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि इन दोनों उप-धाराओं को एक साथ पढ़ने से पता चलता है कि उप-धारा (2) का उद्देश्य पालिसी की शर्तों से उत्पन्न होने वाले बचाव के अलावा किसी अन्य बचाव से निपटना नहीं था, और अन्य बचावों के संबंध में इसलिए उप-धारा (2) कोई निषेध नहीं था. आगे कहा कि उप-धारा (2) के तहत एक बीमाकर्ता कार्रवाई के लिए प्रतिवादी बनने का हकदार है, इसके बाद उसे स्पष्ट रूप से निषिद्ध लोगों को छोड़कर सभी कानूनी बचाव लेने का अधिकार है।

हमारा मानना है कि यह तर्क निराधार है. उप-धारा (2) वास्तव में पॉलिसी की शर्तों के अलावा अन्य बचावों से संबंधित है। इस प्रकार उस उपधारा का खंड (ए) बीमाकर्ता को बचाव करने की अनुमति देता है

इस आधार पर कार्रवाई कि पॉलिसी विधिवत रद्द कर दी गई है, बशर्ते कि उस खंड में निर्धारित शर्तें पूरी की गई हों। खंड (सी) उसे इस आधार पर कार्रवाई का बचाव करने का अधिकार देता है कि पॉलिसी किसी महत्वपूर्ण तथ्य के गैर-प्रकटीकरण या तथ्य के वास्तविक झूठे प्रतिनिधित्व द्वारा प्राप्त होने के कारण शून्य है। इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि उपधारा (2) को अधिनियमित करते समय विधायिका केवल उन बचावों पर विचार कर रही थी जो पालिसी की शर्तों पर आधारित थे।

हमें यह भी लगता है कि भले ही उप-धारा (2) और उप-धारा (3) केवल पालिसी की शर्तों के आधार पर बचाव तक ही सीमित थे, जिससे यह निष्कर्ष नहीं निकलेगा कि विधायिका ने सोचा था कि अन्य बचाव आधारित नहीं हैं ऐसी शर्तें, बीमाकर्ता के लिए खुली होंगी। यदि विधायिका का यही इरादा था, तो उसे अपना इरादा व्यक्त करने से रोकने वाला कोई नहीं था। विधायिका ने जो किया है वह उप-धारा (2) में उपलब्ध बचावों को वर्णित करना है और बीमाकर्ता को उपधारा (6) द्वारा यह प्रावधान करना, कि वह ऐसे बचावों के अलावा अपने दायित्व से बच नहीं सकता है। उप-धारा (2) की व्याख्या विद्वान सॉलिसिटर-जनरल के सुझाव के अनुसार

की जा सके, इसके लिए हमें इसमें शब्द जोड़ने होंगे। विद्वान सॉलिसिटर-जनरल इसे स्वीकार करते हैं और कहते हैं कि एकमात्र शब्द जिसे जोड़ा जाना है वह शब्द "ग्राउंड्स" के बाद "भी" शब्द है। लेकिन यहां तक कि व्याख्या के नियम हमें ऐसा करने की अनुमति नहीं देते हैं जब तक कि जिस प्रावधान में यह मौजूद है, वह अर्थहीन या संदिग्ध अर्थ वाला न हो, जैसा कि हम सोचते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे विचार में, सुझाया गया बदलाव उपयोग की जाने वाली भाषा को अप्रसन्न बना देगा और उप-धारा में प्रयुक्त शब्दों के अर्थ में पूर्ण परिवर्तन ला देगा।

उप-धारा (6) के संबंध में विद्वान सॉलिसिटर-जनरल ने तर्क दिया कि इसका उचित पाठन यह है कि कार्रवाई में पक्षकार बनाए जाने पर उपधारा (2) के अंतर्गत बचाव के अलावा बीमाकर्ता अपने दायित्व से बच नहीं सकता था। उप-धारा (6) में "तरीके" का तात्पर्य उप-धारा (2) में निर्दिष्ट बचाव से नहीं है, बल्कि इसका मतलब केवल मुकदमे का बचाव करने का अधिकार है जो उप-धारा (2) द्वारा दिया गया है। हमारा मानना है कि यह उपधारा (6) का बहुत ही ज़बरदस्ती बनाया गया निर्वचन है और हम इसे अपनाने में असमर्थ हैं। उपधारा (2) में दिए गए दायित्व से बचने का एकमात्र तरीका उसमें उल्लिखित बचावों के माध्यम से है। इसलिए जब उपधारा (6) उपधारा (2) में दिए गए तरीके से दायित्व से बचने की बात करती है, तो यह आवश्यक रूप से इन बचावों को संदर्भित करता है। यदि

विद्वान सॉलिसिटर-जनरल का तर्क सही था, तो उप-धारा (6) में यह प्रावधान किया गया होता कि बीमाकर्ता अपने दायित्व से बचने का हकदार नहीं होगा, सिवाय इसके कि पार्टी बनाए जाने पर कार्रवाई का बचाव प्राप्त हो।

एक और आधार है जिस पर सीखा जाता है सॉलिसिटर-जनरल ने इस तर्क का समर्थन किया कि उप-धारा (3) द्वारा वर्जित बचावों को छोड़कर सभी बचाव बीमाकर्ता के लिए खुले हैं। उन्होंने कहा कि अधिनियम लागू होने से पहले, एक आहत व्यक्ति को बीमाकर्ता के पास उपचार लेने का कोई अधिकार नहीं था और यह धारा 96(1) थी जिसने ऐसा किया, कि आहत व्यक्ति द्वारा बीमाकर्ता पर बाध्यता के लिए प्राप्त निर्णय और उसे बीमाकर्ता के विरुद्ध अधिकार प्रदान किया है। फिर उन्होंने कहा कि ऐसा होने पर, यह उचित है कि जिस व्यक्ति को किसी फैसले से बाध्य करने की मांग की गई है, उसे इसके पारित होने के खिलाफ सभी बचावों द्वारा इसके तहत अपने दायित्व का विरोध करने का हकदार होना चाहिए।

फिर, हम इस तर्क को पूरी तरह से अस्वीकार्य पाते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि अधिनियम ने बीमाकर्ता में घायल व्यक्ति के प्रति दायित्व पैदा किया है, लेकिन अधिनियम ने स्पष्ट रूप से उस दायित्व से बचने के अधिकार को इसमें निर्दिष्ट कुछ आधारों तक सीमित कर दिया है। उन आधारों को और तदर्थी अधिनियम में कठिनाई के कारणों को

जोड़ना हमारा काम नहीं है। इसके अलावा, हम इस बात से भी सहमत नहीं हैं कि अधिनियम किसी भी कठिनाई का कारण बनता है। सबसे पहले, बीमाकर्ता के पास अधिकार है, बशर्ते उसने इसे आरक्षित रखा हो पॉलिसी द्वारा, बीमित व्यक्ति के नाम पर कार्रवाई का बचाव करने के लिए और यदि वह ऐसा करता है, तो बीमित व्यक्ति के लिए खुले सभी बचावों का आग्रह उसके द्वारा किया जा सकता है और अन्य कोइ बचाव जिसके लिए वह आग्रह करने का हकदार होने का दावा करता उसे प्राप्त नहीं है। इस प्रकार वह बीमित व्यक्ति के नाम पर कार्रवाई को बचाव करने का अधिकार प्रदान करके सभी कठिनाइयों, यदि कोई हो, से बच सकता है और ऐसा करने के लिए उसे पूरी स्वतंत्रता है।

दूसरे, यदि उससे कुछ ऐसा भुगतान कराया गया है जिसे पॉलिसी के अनुबंध के तहत वह भुगतान करने के लिए बाध्य नहीं है, तो वह उप-धारा (3) के प्रावधान के तहत और उप-धारा (4) के तहत इसे बीमित व्यक्ति से वसूल कर सकता है। यह कहा गया था कि बीमित व्यक्ति गरीब आदमी हो सकता है और बीमाकर्ता उससे कुछ भी वसूल नहीं कर पाएगा। लेकिन इसका उत्तर यह है कि यह बीमाकर्ता का दुर्भाग्य है। ऐसी परिस्थितियों में घायल व्यक्ति भी चोट पहुंचाने वाले आश्वस्त व्यक्ति से अपनी क्षति की भरपाई नहीं कर पाएगा। नुकसान तो किसी न किसी को होना ही था और अधिनियम में यह उचित समझा गया कि इसका वहन बीमाकर्ता द्वारा

किया जाएगा। यह भी हमें न्यायसंगत प्रतीत होता है क्योंकि बीमाकर्ता को अपना व्यवसाय चलाने के दौरान हानि होती है, एक व्यवसाय जिसमें से वह लाभ कमाता है, और वह अपने व्यवसाय को इस प्रकार व्यवस्थित कर सकता है कि शुद्ध परिणाम में उसे कभी नुकसान न हो। दूसरी ओर, यदि हानि घायल व्यक्ति पर गिर गयी, यह उसकी कोई गलती के कारण नहीं होगा; यह उसे एक ऐसी घटना से होने वाली क्षति होती जिसके घटित होने में उसका कोई हाथ नहीं था।

इसलिए हम महसूस करते हैं कि उप-धारा (2) के स्पष्ट शब्दों को प्रबल व प्रभावी होना चाहिए और इसमें कुछ भी जोड़ने के असाधारण तरीके को अपनाने के लिए हमें प्रेरित करने के लिए कोई आधार मौजूद नहीं है। हमारा मानना है कि उच्च न्यायालय का दृष्टिकोण सही था,

परिणामस्वरूप ये अपीलें जुर्माने के साथ खारिज की जाती हैं।

अपीलें खारिज

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी श्री सानुज कुलश्रेष्ठ द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।